

निर्णय नं इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई ए एस, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 430/2022 (धारा 14 सेक्योरिटाईजेशन)
आवक कार्पोरेशन लि. (पूर्व नाम एचू हाउसिंग कार्पोरेशन लि.) पंजीकृत कार्यालय 201-202 फ्लोर
साउथ एण्ड स्वयावर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर ।

प्राचीं वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती कृष्णा गुजराती पत्नी श्री संजय गुजराती
पता - 13/498, कावेरी पथ, मानसरोवर, एसओ, जयपुर।
एच फ्लेट नं जी-4, घाउण्ड फ्लोर, सालासर-VII, प्लॉट नं एच-52 एवं एच-53, मंगलम सिटी
विस्तार, कालवाड़ रोड, हाथोज, जयपुर।
2. श्री संजय गुजराती पुत्र श्री चंदू गुजराती,
पता - 13/498, कावेरी पथ, मानसरोवर, एसओ, जयपुर।
3. श्री राजू गुजराती पत्नी श्री रमेश भाई गुजराती,
पता - 146, मनु एनक्लेव, बीड, हाथोज, जयपुर।

अप्राधीगण

ऋणी एवं गारन्टर




Application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002.

उपस्थित- श्री भवानी सिंह नरुका अधिवक्ता प्राचीं वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक: 31.08.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्राचीं वित्तीय संस्था ने अप्राधी ऋणी को दिनांक 14.12.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्राधी श्रीमती कृष्णा गुजराती के स्वामित्व की संपत्ति फ्लेट नं. जी-4, घाउण्ड फ्लोर, सालासर-VII, प्लॉट नं. एच-52 एवं एच-53, स्कीम मंगलम सिटी विस्तार, कालवाड़ रोड, हाथोज, जयपुर, क्षेत्रफल 750 वर्गफीट को बंधक रख कर कुल राशि 11,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्राधी ऋणी द्वारा प्राचीं वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्राधी ऋणी को दिनांक 03.12.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मद्य ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्राचीं वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।


जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 को सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 11,00,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बन्धक रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय व्याज कुल 11,70,965/- रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 03.12.2021 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का प्रार्थी वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
5. अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती कृष्णा गुजराती के स्वामित्व की संपत्ति फ्लेट नं. जी-4, ग्राउण्ड फ्लोर, सालासर-VII, प्लॉट नं. एच-52 एवं एच-53, स्कीम मंगलम सिटी विस्तार, कालवाड रोड, हाथोज, जयपुर, क्षेत्रफल 750 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



7. आदेश आज दिनांक 31.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर